इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 मार्च 2025—फाल्गुन 26, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2025

क्र. 5196—मप्रविस—16—विधान—2025.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) जो विधान सभा में दिनांक 17 मार्च 2025 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२५

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ६६(क) का अन्तःस्थापन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा ६६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अन्य अभिकरण.

"**६६क.** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में यह आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, किसी बड़े अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र सहित, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अंकित कर सकेगी और किसी शासकीय अभिकरण या किसी शासकीय स्वामित्व की कंपनी या स्थानीय निकाय को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अभिहित कर सकेगी. ऐसी परियोजना धारा ५० में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार विकसित की जाएगी, और निम्नलिखित में से एक मानदंड को पूरा करेगी:-

(एक) परियोजना क्षेत्र ४० हेक्टेयर से अधिक हो; या

(दो) प्रशासनिक अनुमोदन अनुसार परियोजना व्यय ५०० करोड़ से अधिक हो.

ऐसे प्राधिकरण के कृत्य धारा ६४ की उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र के विकास के प्रयोजन के लिए, धारा ६८ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे.".

उद्देश्य एवं कारण

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में, किसी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के लिए उपबंध है. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यान्वयन हेतु विकास योजना तैयार करता है और विकास योजना के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करता है. उक्त अधिनियम की धारा ६६ विशेष क्षेत्र में किसी शासकीय स्वामित्व की कंपनी या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रारंभ किए जाने के लिए किसी अधोसंरचना विकास परियोजना के विकास के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का स्पष्ट करने के उद्देश्य के साथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निगमन के लिए उपबंध करती है. लोकहित में किसी अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र के विकास करने के आशय से, नई धारा ६६-क को मूल अधिनियम में अन्तःस्थापित किए जाने की आवश्यकता है. अतएव, उक्त अधिनियम में यथोचित् संशोधन करना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १२ मार्च, २०२५.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-२ द्वारा किसी बड़े अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र सहित विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्ययोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है जो सामान्य स्वरूप का होगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025–फाल्गुन 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. 3391–47–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, **मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)** का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 3 OF 2025

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2025

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Insertion of section 66-A.

2. After Section 66 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the following section shall be inserted, namely:-

Other agencies as Special Area Development Authority.

"**66-A.** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification, if it deems it necessary in the public interest, delineate any large infrastructure development project area, including its influence area as may be specified, to be developed as a Special Area and may designate a Government agency or a Government owned company, or a local body as the Special Area Development Authority. Such project shall be developed in accordance with the procedure mentioned in Section 50, and shall meet one of the following criterion,-

(i) project area more than 40 hectare; or

(ii) project cost more than 500 crores as per the administrative approval.

The functions of such authority shall be as specified under section 68, for the purpose of developing the area so notified under sub-section (1) of Section 64.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), there is a provision to constitute Town and Country Development Authority or Special Area Development Authority to develop any area or urban area. Development plan proposal's implemented by the Special Area Development Authority prepares the plan and implement the proposals of Development plan. Section 66 of the said Act, provides for incorporation of Special Area Development Authority. With the objective to clarify the provisions of the Act regarding the development of any infrastructure development project to be undertaken by a Government owned company or urban local body in special area, an intent to develop any infrastructure development project area in public interest, there is a need to include a new Section 66-A to be inserted in the principal Act. Therefore, it is proposed to make suitable amendment in the said Act.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 12th March, 2025

KAILASH VIJAYVARGIYA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.